राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)/डीएलबी/24/3334 दिनांकः 04/09/24

अधिसूचना

विभागीय पूर्व अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 एवं 2428 दिनांक 17.07.2023 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत आसपुर (जिला डूंगरपुर) के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक पं.10 (न.पा.) (गठन) ( )(ब.घो.)/डीएलबी/23/ 4788–4830 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आसपुर के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच को क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जाने हेतुं निर्देशित किया गया था।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक पं.10 (न.पा.) (गठन) ( )(ब.घो.)/डीएलबी/23/4788–4830 दिनांक 06.10.2023 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगर पालिका आसपुर (जिला डूंगरपुर) के क्षेत्र में सम्मिलित ग्रांम पंचायतें एवं राजस्व ग्रांम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेंगे तथा पंचायत आसपुर यथावत कार्यरत रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव,

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/24/ 3335-60 दिनांकः 04/9/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. संयुक्त सचिव (ओ.पी.बी.) मुख्य मंत्री कार्यालय पत्रांक 50606 दि. 05.08.24 के क्रम में।
05. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
06. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका आसपुर के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायते एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगे तथा पंचायत आसपुर यथावत कार्यरत में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा में सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर ।
10. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त उदयपुर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर / पी.आर.ओ. निदेशालय।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. अधिशासी अधिकारी, नवगठित नगर पालिका आसपुर जिला डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करें।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. श्री गोपीचन्द मीणा, पूर्व विधायक, आसपुर ।
19. सरपंच /उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत आसपुर जिला डूंगरपुर ।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी